

CONVEYANCE DEED

विक्रय-पत्र

बिक्री /- मालियत /- स्टाम्प /-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरणः

1. भूमि का प्रकार - आवासीय
2. परगना -
3. ग्राम -
4. सम्पत्ति का विवरण नं० -
5. मापन की इकाई - वर्गमीटर
6. विक्रीत क्षेत्रफल - वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति -
8. अन्य - कुछ नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय प्लॉट

10. सरकारी दर - /- प्रति वर्गमीटर
11. प्रतिफल की धनराशि - /-
12. चौहद्दी विक्रीत प्लॉट नम्बर अ.10
पूरब प्लॉट नम्बर अ.49 चौड़ा उत्तर प्लॉट नम्बर अ.09 दक्षिण
प्लॉट नम्बर अ.11.

(3)

प्रथम पक्ष संख्या 1 विक्रेता का विवरण मे0 AARYAVISION VENTURES PVT LTD पैन नं0 क0पै0नं0 रजि0नं0 मो0नं0	द्वितीय पक्ष संख्या 1 क्रेता का विवरण
---	--

—:: लेख-पत्र का सम्पूर्ण विवरण ::—

हम मे0 AARYAVISION VENTURES PVT LTD, लखनऊ द्वारा
अधिकृत हस्ताक्षरी प्रथम पक्ष विक्रेता
..... द्वितीय पक्ष
क्रेता हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं। एवं प्रथम पक्ष अनुसूचित
जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। जो कि मैं प्रथम पक्ष
की आराजी भूमि नम्बरजा में स्थित है। जिसमें से एक किता प्लॉट

जिसकी पैमाईश व चौहद्दी का विवरण निम्नलिखित है, जिसका प्रथम पक्ष पूर्णतया स्वामी है, जिसे बेचा है। 1

(4)

जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में मौजूद है। कोई अन्य व्यक्ति विक्रीत प्लॉट में सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त आराजी में से निम्न विवरण के एक किता प्लॉट को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु०के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से जरिये एनईएफटी दिनांक में प्राप्त कर लिया है। अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत प्लॉट पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण स्वामित्व व कब्जा करा दिया इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत प्लॉट में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व विक्रीत प्लॉट का दाखिल खारिज इस विक्रय पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से कुल विक्रीत प्लॉट या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष पर होगी। अस्तु यह

विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विक्रीत प्लॉट किसी सड़क व खड्जामार्ग व कार्नर पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। जिसमें कोई निर्माण नहीं है। इसकी 50 मी० त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। व जिसकी 100 मी० त्रिज्या में कोई सड़क नहीं है। विक्रीत प्लॉट पूर्णतया आवासीय है, जिसे द्वितीय पक्ष ने आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किया है।

(5)

यह प्रथम पक्ष की क्रय की गयी सम्पत्ति है जिसको प्रथम पक्ष ने जरिये बैनामा दिनांक को क्रय किया था जिसका इन्द्राज कार्यालय उपनिबन्धक नवाबगंज बाराबंकी की बही संख्या के जिल्द संख्या के क्रमांक पर रजिस्ट्रीकृत है जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विवरण पैमाईश विक्रीत प्लॉट:-

पूरब	—	फिट
पश्चिम	—	फिट
उत्तर	—	फिट
दक्षिण	—	फिट

कुल क्षेत्रफलवर्गफिट अर्थात् वर्गमीटर जिसकी मालियत सरकार द्वारा निर्धारित/- रु० प्रति वर्गमीटर की दर से गु०/- रूपया होती है। चौहद्दी विक्रीत प्लॉट नम्बर अ.10 पूरब प्लॉट नम्बर..... अ.49 पश्चिम उत्तर प्लॉट नम्बर अ.09 दक्षिण प्लॉट नम्बर अ.11.लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये

कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। उभय पक्षकारों व गवाहान की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति प्रपत्र के साथ में संलग्न है। ———

(6)

विदित होवे कि उक्त भूमि पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही कोई स्थगन आदेश है। व विक्रीत प्लॉट वफ़्फ की सम्पत्ति नहीं है लेखपत्र में हम उभय पक्षों द्वारा रूपया/— (रूपया) से अधिक का लेन—देन किया गया है यदि और इससे आयकर अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होता है तो उसकी हम दोनों पक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
दिनांक

गवाह नं०— 1.

गवाह नं०— 2.